COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

173

समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

विविध प्रकरण कमांक /2016 विविध-9018-I-16

पुनरिक्षणकर्ता / आवेदकगण

1. श्रीमती रामकली पत्नि श्री बैनीसिंह गुमास्ता, निवासी– नया गॉव, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)
2. श्रीमती खेमाबाई पत्नि श्री बलराम सिंह लोधी, निवासी– गढ़ाफाटक, जबलपुर (म.प्र.)
3. श्रीमती तुलसा बाई पत्नि नेतराम, निवासी– ग्राम गुरसी, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगण

1. एकमसिंह पिता प्रेमनारायण
2. आजाद सिंह पिता दाबल सिंह
3. सुरेन्द्र सिंह पिता जगदीश सिंह
4. भूपेन्द्र (नाबालिग) पिता पूरन सिंह, बली मॉ श्रीमती शारदा बाई बेवा पूरन सिंह

सभी निवासी– ग्राम गुरसी, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

आवेदन पत्र वास्ते पुनरीक्षण याचिका कमांक आर/2036/1/2011 श्रीमती रामकली एवं अन्य विरूद्ध एकम सिंह वगैरह पुनः नं. पर लाये जाने बावत्।

पुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण माननीय न्यायालय से निम्नलिखित निवेदन करते है :–

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता /आवेदकगण ने रिव्यू प्रकरण कमांक 712/ए 2010–11 में रामकली विरूद्ध एकम सिंह वगैरह में न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमीशनर महोदय जबलपुर संभाग द्वारा आदेश दिनांक 16.08.2011 एवं अपील कमांक 306–अ/2008–09 रामकली एवं अन्य विरूद्ध एकम सिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.07.2011 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका कमांक आर/2036/1/2011 प्रस्तुत की गई थी।
2. यह कि उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.04.2011 को सुनवाई हेतु नियत की गई थी। पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता श्री जय सिंह ठाकुर का प्रोस्टेट का ऑपरेशन होने के कारण पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपरोक्त प्रकरण में श्री सत्येन्द्र गौतम अधिवक्ता दिनांक

OATH COMMISSIONER JABALPUR 30 JUN 2016

विविध — 9018. I/16 नरसिंहपुर

23/8/16 जबलपुर	आवेदक अधि. श्री जयसिंह ठाकुर उप. उन्हें पुर्नस्थापन आवेदन पर सुना गया। आवेदक की ओर से बताये गये आधार समाधानकारक होने से यह आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रकरण निगरानी 2036-I/11 पुनः सुनवाई हेतु नियत किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	C.S.M 23/8/016